प्रमाणित नकल प्रति डिक्री दिनांक 23/12/24 मु० नं० 205/2019 शीला बनाम व०

डिकरी व मुकदमें इब्तीदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई

व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान शीला बनाम बहादुर वगै0

दावा बाबत् 88,89,,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 205/2019

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा 167 रकवा 0.33 वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई पर स्थित है, पर वादिनी को 1/2 हिस्से का मुताबिक रजि. बयनामा तारीख 01.08.2007 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी स.1 के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें।

बैज – मुबलिग –––––– बाबत ––––––––– खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ––––––––––फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसुलयाबी तक –––––––––– की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 23.12.2024 .... को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत–––––– 23/12/24

सहायक कलक्टर

नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दालय	रूपया	पैसे
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:13:58 IST
Reason: SelfAttested

सत्य प्रतिलिपि

सहायक कलक्टर

नदबई जिला भरतपुर

Scanned with OKEN Scanner

1. शीला पत्नि महेश जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादिनी

बनाम

1. बहादुरसिंह (मृतक)

1/1. विष्णु पुत्र बहादुरसिंह जाति जाट निवासी जहांगीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

1/2. हरपाल पुत्र बहादुरसिंह जाति जाट निवासी जहांगीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

1/3. विमला पत्नि बहादुरसिंह जाति जाट निवासी जहांगीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

3. मोहन पुत्र कज्जी जाति जाट निवासी जहांगीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

4. महेश पुत्र कज्जी जाति जाट निवासी जहांगीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

5. तेजपाल पुत्र कज्जी जाति जाट निवासी जहांगीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

6. एच.डी.एफ.सी बैंक शाखा भरतपुर।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

23/12/24
सहायक कलक्टर
नदबई, जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:13:58 IST
Reason: Self Attested

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाणित फोटो प्रति निर्णय दिनांक 23/12/24 मु०नं० 205/24
शीला बनाम बहादुरसिंह -AM AC ML नदबई

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 205/2019
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2019/00369
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 23.12.24

1. शीला पत्नि महेश जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर। वादिनी

बनाम

1. बहादुरसिंह (मृतक)
   1/1. विष्णु पुत्र बहादुरसिंह जाति जाट निवासी जहांगीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/2. हरपाल पुत्र बहादुरसिंह जाति जाट निवासी जहांगीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/3. विमला पत्नि बहादुरसिंह जाति जाट निवासी जहांगीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
3. मोहन पुत्र कज्जी जाति जाट निवासी जहांगीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. महेश पुत्र कज्जी जाति जाट निवासी जहांगीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. तेजपाल पुत्र कज्जी जाति जाट निवासी जहांगीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. एच.डी.एफ.सी बैंक शाखा भरतपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:13:58 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित श्री फूलसिंह ... वादी ... ओर से)

सत्यप्रतिलिपि

... नदबई जिला भरतपुर

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

Scanned with OKEN Scanner

1. यह कि विवादित अराजी ख.न. 167 रकवा 0.33 हैक्ट. वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई में स्थित है। जिसके हाल रिकॉर्ड हिस्सा 1/2 प्रतिवादी स. 1 के नाम गलत रूप से दर्ज हो रहा है। शेष हिस्से 1/2 के सह काश्तकार तर.प्रतिवादी सं. 3 से 5 रेवेन्यू दर्ज रिकॉर्ड है।

2. यह है कि वादिनी ने उक्त आराजी का हिस्सा 1/2 प्रतिवादी स. 1 व उसकी माता सन्जी पत्नि अमरसिंह से जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 01.08.2007 को खरीद किया था। अब प्रतिवादी स. 1 की माता सन्जी का देहान्त हो चुका है। उसके बाद विरासतन सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 पर प्रतिवादी स. 1 रिकॉर्ड दर्ज चला आ रहा है। लेकिन वादिनी को मुताबिक बयनामा दिनांक 01.08.2007 के आधार पर अपने नाम खातेदारी दर्ज करा का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादिनी उक्त आराजी वाके ग्राम जहांगीरपुर मुताबिक बयनामा दिनांक 01.08.2007 हिस्सा 1/2 पर खातेदारी घोषित करा पाने की अधिकारीनी है। तथा प्रतिवादी स. 1 के नाम हो रहे इन्द्राजात काबिज कलमजन है।

3. यह है कि वादिनी ने बयनामा के आधार पर हल्का पटवारी को अपने नाम दाखिला दर्ज कराने को कहा तो बताया कि उक्त दाखिला खारिज हो गया है। लेकिन प्रतिवादी स. 1 के नाम गलत इन्द्राजात के आधार पर आराजी के हिस्से से बेदखल करने तथा विक्रय करने की धमकी दी गई। उक्त दी गई धकमी में कामयाब हो गये तो वादी को अजीम क्षति हो गयी। अत वादी प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है।

4. यह है कि वादी द्वारा प्रार्थना की गई कि आराजी मुतनाजा वाके जहांगीरपुर पर हिस्सा 1/2 का मुताबिक बयनामा दिनांक 01.08.2007 के खातेदार काश्तकार घोषित केया जावें। एवं प्रतिवादी स. 1 के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जोवें।

यह कि वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी [illegible] की ओर से श्री लखनभातरा एवं प्रतिवादी स. 5 कि और से श्री [illegible] एडवोकेट उपस्थित हुए शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ तामील [illegible] उपस्थित न होने के कारण एकतरफा कार्यवाही [illegible] में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 की

सत्य प्रतिलिपि

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:13:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ओर से राजीनामा पेश किया गया तथा तथा प्रतिवादी सं. 5 की और से जबाब पेश नही किया गया इनका जबाब बंन्द किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2075–78 वाके ग्राम जहांगीरपुर,, नकल जमाबंदी संवत 2063–66 वाके ग्राम जहांगीरपुर, नकल बयनामा दिनांक 01.08.2007 पेश किया गया एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी शीला पत्नि महेश का शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस अन्तिम सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि वादी द्वारा वादपत्र अंतर्गत धारा 88,89,188 पेश किया गया है। वादपत्र में वर्णित विवादित आराजीयात ख.न. 167 रकवा 0.33 हैक्ट. वाके ग्राम जहांगीरपुर पर स्थित है। नकल जमाबंदी संवत 2075–78 वाके ग्राम जहांगीरपुर पेश कि गई जिसमें ख.न. 167 पर बहादुरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी जहांगीरपुर 1/2 हिससे पर खातेदारी का अंकन हो रहा है। नकल जमाबंदी संवत 2063–66 वाके ग्राम जहांगीरपुर ख.न. 167 पर सन्जी वेवा अमरसिंह व बहादुरसिंह पुत्र अमरसिंह समभाग निस्फ मोहन महेश तेजपाल पि. कुन्जी समभाग जाति जाट सा. देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत असल बयनामा 01.08.2007 फोटो प्रति पेश कि गई जिसमें सन्जीं वेवा अमरसिंह व बहादुरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी जहांगीरपुर द्वारा वादिनी शीला पत्नि महेश जाति जाट निवासी जहांगीरपुर के पक्ष में ख.न. 167 रकवा 0.33 हैक्ट. के 1/2 हिस्से का बयनामा किया गया है। उक्त रजिस्टर्ड बयनामा का दाखिला खारिज वादिनी के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में अमल नही हुआ है। तथा प्रतिवादी द्वारा वादिनी का वाद पत्र भी स्वीकार भी करने बाबत राजीनामा पेश किश गया है। तथा वादिनी द्वारा स्वंय का शपथ पेश किया गया जो वाद पत्र का समर्थन करता है। लिहाजा वादिनी का वाद पत्र काबिल डिक्री के है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:13:58 IST
Reason: SelfAttested

सत्य प्रतिलिपि

सहायक कलक्टर
जिला भरतपुर

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा 167 रकवा 0.33 वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई पर स्थित है, पर वादिनी को 1/2 हिस्से का मुताबिक रजि. बयनामा तारीख 01.08.2007 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी स.1 के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.12.24 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

23/12/24
सहायक कलेक्टर (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर नदबई

सत्य प्रति

नकल कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

क्र.सं 2176
2 दिनांक 9-1-3/25
3. नाम प्रार्थी ...
4. नकल तैयारी दिनांक 9-3-25
5. नकल तैयार 19-3-25
6. नकल हवालगी 19-3-25
7. कॉपिंग टिकट 12

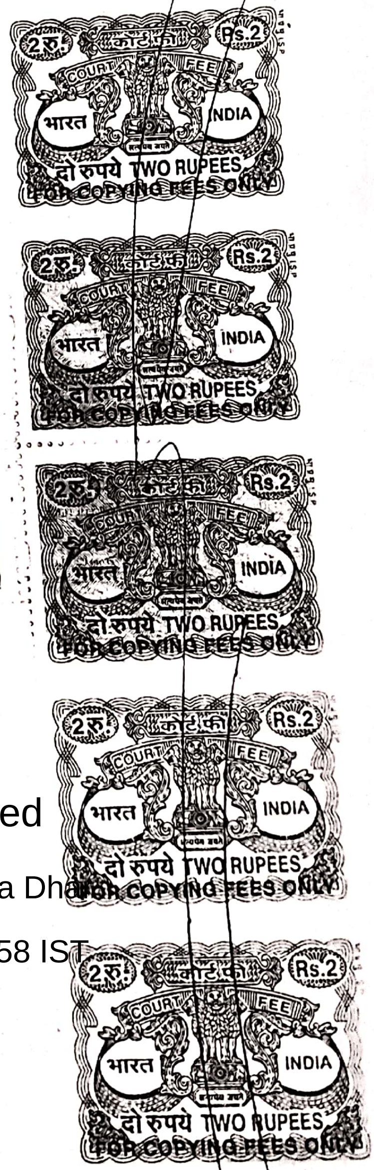
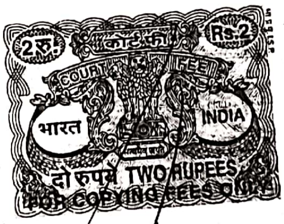

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:13:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner